सत्यमेव जयते

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित डेरी उद्यमिता विकास योजना

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

113/2, राजपुर रोड, होटल सनराइज, देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)

डेरी उद्यमिता विकास योजना –

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई डेरी और मुर्गीपालन के लिए जोखिम पूंजी योजना के मूल्यांकन तथा अनेक क्षेत्र के किसानो, राज्यों के पशुपालन विभागो और बैंको के अनुरोध के फलस्वरूप इस योजना में निम्न परिवर्तन किए गए है :

1. संशोधित योजना को डेरी उद्यमिता विकास योजना नाम दिया गया है।
2. ब्याज मुक्त ऋण सहायता वाले पहलू को पूंजी अनुदान (कैपिटल सब्सीडी) में परिवर्तित किया गया है।
3. मौजूदा इकाई लागतों को बढ़ाया गया है।
4. कुछ अन्य कार्यकलापो को सहायतार्थ योजना में शामिल किया गया है।

योजना का उद्देश्य –

1. स्वच्छ दूध के उत्पादन के लिए आधुनिक डेरी फार्मों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
2. बछिया पालन को प्रोत्साहित करना ताकि अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं को बचाया जा सके।
3. असंगठित क्षेत्र में ढांचागत बदलाव लाना ताकि दूध का प्रारम्भिक स्तर पर प्रसंस्करण गांव में किया जा सके।
4. अनियोजित डेरी क्षेत्र के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

कार्यान्वयन अवधि तथा परिचालन क्षेत्र – ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में सारे देश में (ऑपरेशन फ्लड वाले क्षेत्रों में भी) कार्यान्वित की जाएगी। यह योजना 01 सितंबर 2010 से लागू है।

पात्रता–

1 किसान, उद्यमी, कम्पनियां, साझेदारी फर्मे, निगमें, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, सहकारिताएं, मिल्क यूनियन, मिल्क फेडरेशन।

2. लाभार्थी सभी घटको के लिए सहायता लेने के पात्र परन्तु एक घटक में मात्र एक बार।
3. एक परिवार के एक से अधिक सदस्यो को सहायता का प्रावधान बशर्ते उनकी इकाईयां अलग–अलग स्थानो पर अलग–अलग आधारभूत संरचनाओं के साथ हो तथा इकाइयो के बीच की दूरी कम से कम 500 मी. हो।

अनुदान– विभिन्न गतिविधियों के लिए पूंजी अनुदान की सीमा निम्नानुसार है –

क्र. सं.	घटक	निदेर्शित यूनिट लागत	सहायता का प्रकार
1	संकर नस्ल की गायों/देशी दुधारू गायों यथा साहीवाल, रेड सिंधी, गीर, राठी आदि या दस ग्रेडेड भैसो तक की छोटी डेरी की इकाईयों की स्थापना के लिए	दस पशुओं तक की इकाई के लिए रू. 5.00 लाख – न्यूनतम दो पशु और अधिकतम दस	दस पशुओं तक की इकाई के लिए रू. 1.25 लाख (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए रू. 1.67 लाख) की अधिकतम राशि बैकएण्डेड अनुदान के रूप में परिव्यय का 25% (अ.जा./अ.ज.जा के लिए 33.33%) सब्सीडी इकाई के आधार पर समानुपातिक होगी।
2	बछियो/कटियों का पालन – संकर, देशी नस्ल के दुधारू पशु और ग्रेडेड भैंसे – अधिकतम 20 बछिए/कटियां	20 बछियो/कटियों तक की इकाई के लिए रू. 4.80 लाख –न्यूनतम 5 और अधिकतम 20 बछिए/कटियां	20 बछियों/कटियों तक की इकाई के लिए रू. 1.20 लाख (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए रू. 1.60 लाख) की अधिकतम राशि बैकएण्डेड अनुदान के रूप में परिव्यय का 25% (अ.जा./अ.ज.जा के लिए 33.33%)

3	दुधारू पशु इकाई सहित वर्मिकम्पोस्ट	रू. 20000/–	रू. 5000/– (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए रू. 6700/–) की अधिकतम राशि बैकएण्डेड अनुदान के रूप में परिव्यय का 25% (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 33.33%)
4	दूध निथारने वाली मशीनों, मिल्क टोस्टरो/वृहत दूध प्रशीतन इकइयो की खरीद (2000 लीटर तक की क्षमता वाली)	रू. 18.00 लाख	रू.4.50/– लाख (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए रू. 6.00/–लाख) की अधिकतम राशि बैकएण्डेड अनुदान के रूप में परिव्यय का 25% (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 33.33%)
5	देशी दुग्ध उत्पादो की तैयारी के लिए डेरी प्रसंस्करण उपकरणों की खरीद	रू. 12.00 लाख	रू. 3.00/–लाख (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए रू. 4.00/–लाख) की अधिकतम राशि बैकएण्डेड अनुदान के रूप में परिव्यय का 25% (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 33.33%)
6	दुग्ध उत्पाद यातायात सुविधाओं और कोल्ड चेन की स्थापना	रू. 24.00 लाख	रू. 6.00/–लाख (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए रू. 8.00/–लाख) की अधिकतम राशि बैकएण्डेड अनुदान के रूप में परिव्यय का 25% (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 33.33%)
7	दूध और दुग्ध उत्पादो के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा	रू. 30.00 लाख	रू. 7.50/–लाख (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए रू. 10.00/–लाख) की अधिकतम राशि बैकएण्डेड अनुदान के रूप में परिव्यय का 25% (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 33.33%)
8	निजी पशु चिकित्सालयो की स्थापना	चल पशुचिकित्सालय के लिए रू. 2.40 लाख तथा स्थायी पशुचिकित्सालय के लिए रू. 1.80 लाख	रू. 60000/– तथा 45000/– क्रमशः (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए रू. 80000/– तथा 60000/– क्रमशः) की अधिकतम राशि बैकएण्डेड अनुदान के रूप में परिव्यय का 25% (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 33.33%)
9	दुग्ध विपणन केन्द्र/डेरी पार्लर	रू. 56000/–	रू. 14000/– (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए रू. 18600/–) की अधिकतम राशि बैकएण्डेड अनुदान के रूप में परिव्यय का 25% (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 33.33%)

परिव्यय के घटक –

लाभार्थी अंशदान – परिव्यय का 10% (न्यूनतम)

अनुदान– यथाइंगित उच्चतम सीमा के अधीन पात्रता के अनुसार कुल परिव्यय का 25% या 33.3%

बैंक ऋण – शेष अंश (परिव्यय का न्यूनतम 40)

ऋण सहबद्धता– योजना के अंतर्गत सहायता पात्र वित्तीय संस्थाओं द्वारा परियोजना की मंजूरी के आधीन तथा ऋण से सहबद्ध होगी। पात्र वित्तीय संस्थाएं – वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक तथा अन्य ऐसी संस्थाएं जो नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए पात्र है।

पूंजीगत अनुदान की मंजूरी तथा उसका जारीकरण –

1. लाभार्थी द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाकर वित्त पोषक बैंक को भेजना।
2. परियोजना का आकलन, ऋण की मंजूरी तथा ऋण की प्रथम किश्त जारी होने के बाद बैंक द्वारा अपने नियंत्रक कार्यालय के माध्यम से प्रस्ताव नाबार्ड को भेजना।

3. प्रोजेक्ट मंजूरी कमेटी की बैठक में प्रस्तावों का स्वीकृत होना।
4. प्रधान कार्यालय से पुष्टि मिलने पर बैंको को अनुदान जारी किया जाना।
5. अनुदान को सब्सीडी रिजर्व फंड खातों में अलग से रखा जाएगा जिसका समायोजन बैक एन्डेड तथा न्यूनतम 3 वर्ष की समयबंदी के साथ होगा तथा इस अंश पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

चुकौती अवधि – नकदी प्रवाह पर निर्भर, 03 से 07 वर्षों के बीच होगी। डेरी फार्मों के मामले में 03 से 06 माह तथा बछिया पालन यूनिटो के मामले में 03 वर्षों तक की छूट अवधि होगी।

परियोजना की पूर्णता की निर्धारित समय सीमा – ऋण की प्रथम किश्त के वितरण की तारीख से अधिकतम 09 माह। विलंब के यथोचित कारण होने की दशा में 03 माह की अवधि और दी जाएगी।

अन्य शर्तें –

1. परियोजना के अंतर्गत निर्मित अस्तियों का बीमा
2. नाबार्ड के माध्यम से पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता प्राप्ति के साइन बोर्ड का यूनिट पर प्रदर्शन।

सहायता एवं सम्पर्क सूत्र-

जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड

1. **अल्मोडा व बागेश्वर,** श्री बहादुर सिंह बिष्ट
   फोन: 05962-233123, मो0: 9412093444
2. **हरिद्वार,** श्री हेमन्त कुमार तिवारी
   फोन: 01334-220330, मो0: 9412073002
3. **टिहरी गढ़वाल,** श्री ओ.पी. ढौन्डियाल
   फोन: 01376-232190, मो0: 9412076390
4. **पौडी गढ़वाल,** श्री एस. दास गुप्ता
   फोन: 01368-221970, मो0: 9411109889
5. **पिथौरागढ़,** श्री विकास भट्ट
   फोन: 05964-227660, मो0: 9412095933
6. **उत्तरकाशी,** श्री एस.सी. गर्ग
   फोन: 01374-224757, मो0: 9411103513
7. **ऊधम सिंह नगर,** श्री पुष्पहास पाण्डेय
   फोन: 05944-242620, मो0: 9412089620
8. **नैनीताल,** श्री जी. एस. चौधरी
   फोन: 05942-237257, मो0: 9412084752

नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

फोन: 0135-6601085 / 6601070 ईमेल: dehradun@nabard.org